प्रेषकः—श्रीमती तारा देवी
पत्नी श्री राम कुमार वर्मा
निवासिनी—6/997 विकास नगर,
लखनऊ—226022
मो0 नं0 9415993328

दि0 09.02.2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत पारेषण खण्ड
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
फैजाबाद—224001

विषयः—प्रार्थिनी श्रीमती तारा देवी, निवासिनी— ग्राम— हुंसेपुर पोस्ट— फरीदपुर जिला— अम्बेदकर नगर (उ0प्र0) के क्रमांक संख्या 1669722017111 गाटा सं0 74 एवं 75 जो प्रार्थिनी श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री राम कुमार वर्मा के नाम जारी है पर हाई वोल्टेज विद्युत पारेषण हेतु लगे विद्युत पोल के एवज में मुआवजा भुगतान करने के संबंध मे।

संदर्भः—आपका पत्रांक 763/वि0प्रे0 ख0 फैजाबाद /जनसूचना/ दिनांक 03.07.2018

महोदय

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार मॉगे गये प्रपत्र कार्यालय अवर अभियन्ता, उपखण्ड अधिकारी, विद्युत प्रेषण, उप खण्ड टाण्डा, अम्बेदकर नगर (उ0प्र0) को दिनांक 22.10.2018 पंजीकृत पत्र (RL B RU266627017IN) के माध्यम से प्रेषित किया गया था जिस पर किसी प्रकार की कार्यवाही न होने की दशा में दिनांक 12.01.2019 को पुनः मुआवजे की धनराशि को अवमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है परन्तु तद्‌दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी और न ही किसी तरफ की सूचना प्रार्थिनी को दी गयी जबकि आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र में एक सप्ताह के अन्दर धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु सूचित किया गया था फिर भी आपके कार्यालय द्वारा प्रकरण को महत्वहीन दृष्टि से देखा जा रहा है और अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत मुआवजे की धनराशि को शीघ्र अवमुक्त कराने का कष्ट करें अन्यथा प्रार्थिनी को बाध्य होकर ब्याज सहित धनराशि वसूल करने हेतु माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड सकती। जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होगें।

प्रार्थिनी,
तारा देवी
(तारा देवी)

प्रतिलिपिः—अपर महा प्रबन्धक,(के0आ0) एवं के0लो0सू0 अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय,सौदामिनी प्लाट नं0—2, सेक्टर—29, गुडगांव हरियाणा—122007 को उनके पत्र CPRTI/2018/470 Date 08-10-2018 के संदर्भ में ।

(तारा देवी)
तारा देवी

Ms. Neelam
18/2/19
UPPTCL

दिनांकः 12 जनवरी, 2019

(1) RU292157271 IN. फैजाबाद
(2) RU292157020 IN. टाण्डा
12/1/2019

सेवा में,

श्रीमान् अवर अभियंता/
उप खण्ड अधिकारी,
विद्युत प्रेषण, उप खण्ड,
टाण्डा, अम्बेडकर नगर, उ0प्र0

विषय : प्रार्थिनी तारा देवी, निवासिनी ग्राम हूसेपुर, पोस्ट फरीदपुर, जिला अम्बेडकर नगर, उ0प्र0 के ग्राम कमांक संख्या 1669722017111, गाटा संख्या 74 एवं 75 जो प्रार्थिनी (श्रीमती तारादेवी पत्नी श्री राम कुमार) के नाम जारी है, पर हाई वोल्टेज विद्युत पारेषण हेतु लगे विद्युत पोल के एवज में मुआवजा भुगतान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि अधिशाषी अभियन्ता के पत्रांक 763/वि0प्रे0ख0फै0/जनसूचना, दिनांक 03.07.2018 के क्रम में मुआवजा प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए भूमि के खसरा–खतौनी, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड उपलब्ध कराने की अपेक्षा की थी, तद्क्रम में प्रार्थिनी द्वारा अपने भूमि की **उद्धहरण खतौनी फसली वर्ष 1420–1425, क्रमांक 1669722017111, गाटा संख्या 74 एवं 75 जो प्रार्थिनी (श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री राम कुमार) के नाम जारी है, की छायाप्रति एवं बचत बैंक खाता संख्या 3317000100203628, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा एन.टी.पी.सी., जनपद अम्बेडकरनगर, उ0प्र0, आई.एफ.एस.सी. कोड– PUNB0331700** (बैंक पासबुक की छायाप्रति) एवं निर्धारित फार्म पर वांछित औपचारिकतायें पूर्ण कर पत्र के साथ संलग्न कर मुआवजा प्राप्त करने के आशय से पूर्व में पंजीकृत पत्र RL No. 1266627017IN दिनांक 22.10.2018 के माध्यम से प्रेषित किया गया था।

उपरोक्त निर्धारित फार्म पर वांछित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए खसरा खतौनी, एवं आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं फोटो संलग्न कर प्रेषित किये गये थे, किन्तु बड़े खेद का विषय है कि अभी तक प्रार्थिनी को उक्त सम्बन्ध में न तो कोई सूचना प्रेषित किया गया है और न ही मुझे मुवावजे का भुगतान ही किया गया है।

अतः महोदय से पुनः विशेष आग्रह है कि कृपया उपरोक्त विषयांकित मामले का निस्तारण कराते हुए प्रार्थिनी को मुआवजा को दिलाने की कृपा करें।

प्रार्थिनी,
तारा देवी
(तारा देवी) 12/1/19
पत्नी श्री राम कुमार वर्मा,
6/997, विकास नगर,
लखनऊ–226022

प्रतिलिपिः अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, उ0प्र0 पॉवर ट्रॉन्समिशन कॉरपोरेशन, लि0 फैजाबाद–224001 को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।